

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल
**संस्था के निःशक्तजनों के सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2024 के सामान्य निर्देश
नियम पुस्तिका**

मध्यप्रदेश शासन म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था अन्तर्गत सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी 5 पद, सहायक ग्रेड-3, 4 पद, स्टेनोटाईपिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर 1 पद एवं प्रयोगशाला सहायक 02 पद की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आयोजन कर निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है :-

क्र.	पदनाम	दृष्टि वाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हां कित पद	बहरे और कम सुनने वाले 1.5%) चिन्हां कित पद	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन एसिड अटैक पीड़ित, मरकुलर डिस्ट्राफी (1.5%) चिन्हांकित	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) चिन्हांकित पद
1	2	3	4	5	6
1	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी /बीज विश्लेषक	—	(SC-1) (ST-1) (OBC-1)	(SC-1) (ST-1)	—
2	सहायक ग्रेड-3	(EWS-1)	(SC-1) (EWS-1)	—	(UR-1)
3	स्टेनो टाईपिस्ट (कम्प्यूटर ऑपरेटर)	—	—	(OBC-1)	—
4	प्रयोगशाला सहायक योग	(SC-1)	—	(OBC-1)	—
		2	5	4	1

सीधी भर्ती के लिये संधारित 100 बिन्दु रोस्टर अनुसार संवर्गवार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन चयन प्रक्रिया के लिए निम्नानुसार निर्देश एवं शर्त निर्धारित की जाती है:-

(1) संवर्गवार रिक्त पदों का विवरण :- परिशिष्ट-1 अ एवं 1ब पर संलग्न है।

(1.1) सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी :-

वेतनमान 32800–103600 (लेवल 8) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताये :- स्नातकोत्तर उपाधि (इनमें से किसी एक विषय में) स्नातकोत्तर कृषि – (विशेषज्ञता)

(1) प्लांट ब्रीडिंग एण्ड जेनोटिक्स, (2) एयोनामी, (3) पादप कार्यिकी (Plant Physiology)

मेरिट सूची का निर्धारण :- स्नातकोत्तर कृषि में प्राप्त रीजीपीए का 80 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर कृषि के संबंधित विषय में पीएचडी उपाधि पर 20 अंक इस प्रकार कुल 100 अंकों में से मेरिट सूची तैयार की जायेगी। परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि परीक्षा के अंक और आयु भी समान हैं तो स्नातकोत्तर उपाधि में अधिक अंक/प्रतिशत वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।



(1.2) सहायक ग्रेड-3 :-

वेतनमान 19500–62000 (लेवल 4)

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताये :— हायर सेकेण्ड्री (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हों, साथ ही कम्प्यूटर पर हिन्दी में 20 शब्द प्रति मिनट तथा अग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से शासन द्वारा अधिकृत संस्था से टायपिंग की दक्षता (सीपीसीटी) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) हो। (सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अर्हता ही लागू होगी)

मेरिट सूची का निर्धारण :— हायर सेकेण्ड्री (10+2) में कुल प्रतिशत का 50 प्रतिशत तथा सीपीसीटी में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत इस प्रकार 100 अंकों में से मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि परीक्षा के अंक और आयु भी समान हैं तो हायर सेकेण्ड्री (10+2) उपाधि में अधिक अंक/प्रतिशत वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

(1.3) स्टेनो टाईपिस्ट / कम्प्यूटर ऑपरेटर :-

वेतनमान 19500–62000 (लेवल 4)

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताये :— हायर सेकेण्ड्री (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हों, साथ ही कम्प्यूटर पर हिन्दी में 20 शब्द प्रति मिनट तथा अग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से शासन द्वारा अधिकृत संस्था से टायपिंग की दक्षता (सीपीसीटी) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थान/परिषद से 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखक दक्षता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।

मेरिट सूची का निर्धारण :— हायर सेकेण्ड्री (10+2) में कुल प्रतिशत का 50 प्रतिशत तथा सीपीसीटी में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत इस प्रकार 100 अंकों में से मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि परीक्षा के अंक और आयु भी समान हैं तो हायर सेकेण्ड्री (10+2) उपाधि में अधिक अंक/प्रतिशत वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

(1.4) प्रयोगशाला सहायक :-

वेतनमान 19500–62000 (लेवल 4)

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताये :— विज्ञान विषय लेकर (वनस्पति समूह से) हायर सेकेण्ड्री (10+2) समूह से उत्तीर्ण

मेरिट सूची का निर्धारण :— हायर सेकेण्ड्री (10+2) में उत्तीर्ण प्रतिशत मेरिट आधार पर। परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि परीक्षा के अंक और आयु भी समान हैं तो उच्च शैक्षणिक योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।



(2) चयन हेतु सामान्य निर्देश :-

- (2.1) सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटाईपिस्ट / कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रयोगशाला सहायक के पद राज्य स्तर के पद है। अतः पदों की पूर्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का संधारण राज्य स्तर पर प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जायेगा।
- (2.2) दिव्यांगजनों के आवेदकों को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा मण्डल / चिकित्सक / दिव्यांगजनों के विशेषज्ञों के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (2.3) दिव्यांगजनों के आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही यह वास्तव में विकलांग है का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
- (2.4) दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों के निःशक्ता का प्रतिशत, 40 प्रतिशत या अधिक पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
- (2.5) मूक वाधित श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भरती के पूर्व मेडिकल बोर्ड में बेरा टैस्ट (Bera Test) अनिवार्य होगा।
- (2.6) पूर्व से जारी किये गये निःशक्तता प्रमाण पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से कराने के उपरांत ही दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
- (2.7) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) दिनांक 03.07.2018 में सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों को चयन उपरांत नियुक्ति की पात्रता होगा। इसके उपरांत दिव्यांगजनों के संबंध में शासन द्वारा वर्तमान एवं समय—समय पर जारी नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही संस्था द्वारा की जावेगी।
- (2.8) चयन परीक्षा हेतु आवेदकों को अपने आवेदन एम.पी.आनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे।
- (2.9) अहर्ताधारी एक आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है। इस हेतु उन्हें एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर पृथक—पृथक आवेदन पत्र भरना होगा। प्रत्येक आवेदन के लिए राशि रूपये 250+GST परीक्षा फीस एम.पी. आनलाइन कियोरस्क के माध्यम से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यू.पी.ई/वालेट पेमेंट से जमा की जा सकेगी। आवेदन में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु राशि रूपये 50+GST का भुगतान उपरोक्तानुसार ही किया जावेगा।



- (2.10) सभी पदों के लिए पृथक—पृथक मेरिट सूची भी पृथक—पृथक बनाई जायेगी।
- (2.11) अनंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित अभ्यार्थियों के निर्धारित प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कोई भी प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि के बाद की तिथि में जारी होना पाये जाने की स्थिति में मान्य नहीं किया जायेगा तथा ऐसे अभ्यार्थियों का चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (3) चयन संबंधी आवश्यक अर्हताये एवं अन्य बिन्दु निम्नानुसार होंगे :—
मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था अन्तर्गत सभी पद राज्य स्तरीय है। अतः राज्य स्तर पर लागू पदों का आरक्षण एवं रोस्टर का पालन चयन प्रक्रिया के दौरान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य स्तर पर लागू 100 बिन्दु रोस्टर के संबंध में म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक ऐ-7-55/2020/21/आ.प्र./1 दिनांक 31-01-2022 के अनुसार संशोधित रोस्टर परिशिष्ट-1 अनुसार पूर्णतः पालन करते हुए पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जावेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों को किसी अन्य वर्ग के अभ्यार्थियों से नहीं भरा जावेगा।
- (4) मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र :— आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (5) आवेदक का आवेदित दिनांक को मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- (6) आयु सीमा :—
सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद हेतु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। शेष संवर्गों के लिये 18 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। किसी भी स्थिति में सभी प्रकार की छूट मिलाकर आवेदक/आवेदिका की आयु 45 वर्ष के उपर नहीं होना चाहिए।
- (6.3) आयु की पुष्टि हेतु हायर हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में अभिलिखित जन्मतिथि ही मान्य की जावेगी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में मान्य की जावेगी।
- (7) बिना किसी पूर्व सूचना के चयन प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के पास रहेगा। चयन/नियुक्ति में प्रबंध संचालक राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(8) चयन प्रक्रिया :—

चयन प्रक्रिया निम्नानुसार संपादित की जावेगी :—

(8.1) अनंतिम वरीयता सूची एवं अंतिम चयन सूची का निर्धारण एवं प्रकाशन :—

ऑनलाइन निर्धारित मापदण्ड में प्राप्त अंको के आधार पर अनंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल की वेबसाइट www.mpssca.org तथा एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर किया जावेगा।

उपरोक्त मापदण्ड को अपनाते हुए विभाग द्वारा विभिन्न पदों के लिए प्रत्येक प्रवर्ग के लिए रिक्त पदों की 150 प्रतिशत सीमा तक मेरिट के कम में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की गठित राज्य स्तरीय दल द्वारा किया जायेगा। उक्त दल में मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी एवं बीज प्रमाणीकरण अधिकारी सदस्य होंगे। निर्धारित तिथि पर अनंतिम चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों को समक्ष में बुलाकर उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी का उक्त दल द्वारा सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन सही पाए जाने पर प्रत्येक प्रवर्ग में पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। असत्य जानकारी एवं फर्जी दस्तावेज के मामलों में संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार दांडिक कार्यवाही की जाएगी।

सत्यापन में आवश्यक संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अनंतिम वरीयता सूची के मेरिट कम में सूचीबद्ध अन्य अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के कम में दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जा सकेगा।

(7) प्रतीक्षा सूची :—

अंतिम चयन सूची के प्रकाशन के साथ-साथ प्रत्येक पद के लिए विज्ञप्ति पदों के 100 प्रतिशत संख्या में पद की प्रतीक्षा सूची प्रवर्गवार तैयार की जाएगी और उसका प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम चयन सूची जारी होने के बारह माह की अवधि तक प्रतीक्षा सूची वैध रहेगी।

(8) नियुक्ति की शर्तें :— म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था अतंगत सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटाईपिस्ट / कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रयोगशाला सहायक की नियुक्तियों से संबंधित शर्तों का विवरण परिशिष्ट-2 पर है।


(9) निरहताएँ :—

(9.1) पररूपधारण :— किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास अनर्हकारी माना जायेगा।

(9.2) विवाह संबंधी :— जिस उम्मीदवार की न्यूनतम निर्धारित आयु पुरुष 21 वर्ष एवं महिला 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया हो, उसे पद पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला / पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष / स्त्री

से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पति/पत्नी हो तो ऐसे महिला/पुरुष पात्र नहीं होंगे।

- (9.3) दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई हो, वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात आगामी प्रसव में एक साथ दो या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा।
- (9.4) कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर।
- (9.5) कदाचरण संबंधी:- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्ति नहीं किया जावेगा, यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया अथवा यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- (9.7) ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरुद्ध दर्ज किसी अपराधिक मामले में वह दोष सिद्ध हुआ हो।


(के.एस.ट्रिवेडी)
प्रबंध सचालक

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,

दिव्यांगजनों के संवर्गवार रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पदनाम	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हां कित पद	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) चिन्हां कित पद	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%) चिन्हांकित	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) चिन्हांकित पद
1	2	3	4	5	6
1	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी / बीज विश्लेषक	—	(SC-1) (ST-1) (OBC-1)	(SC-1) (ST-1)	—
2	सहायक ग्रेड-3	(EWS-1)	(SC-1) (EWS-1)	—	(UR-1)
3	स्टेनो टाइपिस्ट (कम्प्यूटर ऑपरेटर)	—	—	(OBC-1)	—
4	प्रयोगशाला सहायक	(SC-1)	—	(OBC-1)	—
	योग	2	5	4	1

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,

दिव्यांगजनों के संवर्ग के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हताये एवं वेतनमान की जानकारी

क्र.	पदनाम	श्रेणी संवर्ग	भरे जाने वाले पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताये	वेतनमान	आयु (1.1.2024 की स्थिति में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	तृतीय श्रेणी	5	स्नातकोत्तर उपाधि (इनमें से किसी में) स्नातकोत्तर कृषि – (1) प्लांट ब्रीडिंग एण्ड जेनेटिक्स, (2) एग्रोनामी, (3) पादप कार्यकी (Plant Physiology)	32800– 103600 (लेवल 8)	21–45 वर्ष
2	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	4	हायर सेकेप्ड्री (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हों, साथ ही कम्प्यूटर पर हिन्दी में 20 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से शासन द्वारा अधिकृत संस्था से टायपिंग की दक्षता (सीपीसीटी) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) हो। (सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अर्हता ही लागू होगी)	19500– 62000 (लेवल 4)	18–45 वर्ष
3	स्टेनो टाईपिस्ट /कम्प्यूटर ऑपरेटर	तृतीय श्रेणी	1	हायर सेकेप्ड्री (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हों, साथ ही कम्प्यूटर पर हिन्दी में 20 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से शासन द्वारा अधिकृत संस्था से टायपिंग की दक्षता (सीपीसीटी) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थान/परिषद से 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखक दक्षता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।	19500– 62000 (लेवल-4)	18–45 वर्ष
4	प्रयोगशाला सहायक	तृतीय श्रेणी	2	विज्ञान विषय लेकर (वनस्पति समूह से) हायर सेकेप्ड्री (10+2) समूह से उत्तीर्ण	19500– 62000 (लेवल 4)	18–45 वर्ष

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,

दिव्यांगजनों की नियुक्तियों से संबंधित शर्तों का विवरण

- (1) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक अस्थाई तथा अद्वैत स्थाई सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार आपकी सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है।
- (2) नियुक्त व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान किये बिना संस्था की सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त के अन्तर्गत देय रकम उनसे भू-राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।
- (3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8(1) के तहत यह नियुक्ति तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर होगी। म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-8 के उप नियम-7 के अनुसार परीवीक्षा अवधि समाप्त की जावेगी।
- (4) परीवीक्षा अवधि में उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, नियत वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- (5) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। कार्य संतोषप्रद न पाये जाने पर अथवा अन्य कारणों से परिवीक्षा काल में किसी भी समय समाप्त किया जाकर सेवायें समाप्त की जा सकती है।
- (6) संस्था में पद का कार्यभार (उपस्थिति) ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (7) यदि संबंधित द्वारा पद का कार्यभार आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- (8) यदि कोई प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) जमा करने के आदेश दिये जायें तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। संस्था में सेवाओं हेतु उपयुक्तता के आधार पर ही उपस्थिति मान्य की जा सकेगी।
- (9) उपस्थिति देते समय समस्त आवश्यक मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा तदानुसार समस्त आवश्यक मूल प्रमाणपत्रों तथा इनकी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जावे।

- (10) संस्था में उपस्थिति देते समय अधिकृत सिविल सर्जन का शारीरिक उपयुक्तता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (11) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ.सी.3-15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित अनुप्रमाणन प्रपत्र में चाही गई जानकारी पूर्ण भरकर प्रस्तुत करना होगा। पुलिस सत्यापन में उनके संबंध में किसी भी प्रकार की अनुचित जानकारी प्राप्त होने पर उन्हें बिना किसी सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
- (12) संबंधित को सेवा पुस्तिका में निर्धारित किये गये प्रपत्र में भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति, श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखने एवं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों का राजभवित, इमानदारी और निष्पक्षता से पालन करने की शपथ लेनी होगी।